केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 10.01.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/20
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00020
CICOM/R/2017/01292

अपीलकर्ता : श्री प्रमोद कुमार, पुत्र – श्री लाखन सिंह,
निवासी – नगला भूड़,
पो0 – खिरियानगरशाह, थाना – जैथरा,
तह0 – अलीगंज, जनपद – एटा,
हाल पता – जिला कारागार, एटा,
बैरक नं. 18, उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 10.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.10.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.11.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती पुष्पा जनार्दनन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.12.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 16.10.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित दिनांक 14.08.2017 के पत्र से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है तथा प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें संतोषजनक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्रीमती पुष्पा जनार्दन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 16.11.2017 के पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि उनका पत्र फाइल सं. CIC/POSTS/C/2017/158760 के तहत रजिस्टर्ड करके संबंधित रजिस्ट्री को भेज दिया गया है । अतः अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है फाइल सं. की सुनवाई की प्रतीक्षा करें, सुनवाई की तिथि निर्धारित होने पर संबंधित सूचना आयुक्त के उप-पंजीयक द्वारा सुनवाई सूचना जारी की जाएगी । उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में प्राप्त अपीलों/शिकायतों की सुनवाई अपीलों/शिकायतों के प्राप्त होने की तिथि अनुसार वरीयता क्रम में की जाती है, अर्थात जो अपील/शिकायत पहले प्राप्त हुई है उसकी सुनवाई पहले की जाएगी ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के. सू. आ.
11 JAN 2018

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

11/01/18